महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

संविदा आधार पर नियुक्ति

विज्ञापन संख्या–03/2018 (प्रशिक्षण)

झारखण्ड पुलिस के स्थायी/अस्थायी प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में वर्ष 2018–19 के दौरान संचालित किये जाने वाले बुनियादी/प्रोन्नति/सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान पुलिस विषयों को पढ़ानें के लिये पुलिस विषयों के जानकार **पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप–महानिरीक्षक** स्तर **एवं समतुल्य कोटि** के सेवानिवृत पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाना है। इस कार्य के लिये इच्छुक सेवानिवृत पदाधिकारियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित है। यह आवेदन पुलिस महानिरीक्षक(प्रशि0), झारखण्ड, डी0आर0पी0डी0 भवन, धुर्वा, राँची, पिन कोड–834004 के समक्ष **दिनांक–31.07.2018** के अपराह्न तक हाथों–हाथ अथवा निबंधित डाक से जमा किया जाना है। उपरोक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। **संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिये साक्षात्कार की तिथि दिनांक 03.08.2018 को अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशि0 एवं आधु0), झारखण्ड, राँची के कार्यालय कक्ष में निर्धारित की जाती है।**

(क) उक्त कार्यों के लिये संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सेवा शर्त्त निम्न प्रकार से पूर्ण करना अनिवार्य होगाः–

1. दिनांक–01.04.2018 को अधिकतम उम्र 64 वर्ष या उससे कम हो।
2. पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक का कार्य किये पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. जिन पुलिस विषयों को पढ़ाना चाहते हैं, उन विषयों की सम्पूर्ण जानकारी आवश्यक होगी।
4. झारखण्ड राज्य से सेवानिवृत पदाधिकारियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।
5. सेवानिवृति के समय से संविदा पर नियुक्ति की तिथि तक किसी आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं हों।
6. किसी भी पदाधिकारी को नियुक्ति के पश्चात् स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के एक माह पूर्व अग्रिम जानकारी देना अनिवार्य होगा।

(ख) चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

(ग) प्रथम नियुक्ति एक वर्ष के लिये की जायेगी। प्रथम नियुक्ति के बाद सेवा संतोषजनक एवं पुलिस प्रशिक्षण स्थायी/अस्थयी संस्थानों के लिये उपयुक्त पाये जाने पर आवश्यकता अनुसार अधिकतम तीन वर्षों का संविदा विस्तार किया जायेगा। साथ हीं, नियुक्ति के पश्चात् सेवा असंतोषजनक पाये जाने पर किसी भी समय अनुबंध/संविदा समाप्त कर दिया जायेगा।

(घ) नियुक्ति के पश्चात् पदाधिकारियों को विभागीय अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा।

(ङ) अनुबंध/संविदा के आधार पर नियुक्ति के पश्चात् देय सुविधा एवं संविदा राशि निम्न प्रकार हैः– .

(i) राज्य सरकार द्वारा छठे वेतनमान के अनुसार संविदा राशि निम्न प्रकार से निर्धारित हैः–

Sl. No.	Pay Band & Pay Scale at the time of retirement	GP	Fixed Honorarium per month
1	PB-II 9300-34800	4200	Rs.25000
		4600	
		4800	
		5400	
2	PB-III 15600-39100	5400	Rs.35000
		6600	
		7600	
3	PB-IV 37400-67000	8700	Rs.45000
		8900	
		10000	

उक्त देय राशि में राज्य सरकार द्वारा संशोधन किये जाने पर तद्नुसार संविदा राशि देय होगी।

(ii) संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को सरकारी आवास आबंटित नहीं होने पर उक्त राशि के अलावे सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन के आलोक में पुनर्नियुक्त स्थान पर अनुमान्य आवास किराया भत्ता का 75 प्रतिशत देय होगा।

(iii) यदि सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया हो, तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय धारित ग्रेड वेतन के अनुसार परिवहन भत्ता(जहाँ अनुमान्य हो, सेवानिवृत्ति की तिथि को देय महगाँई भत्ता सहित) देय होगा।

(iv) संविदा कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा।

(v) संविदा कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त ग्रेड वेतन के अनुसार यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

(vi) उक्त भत्तों के अलावे कोई अन्य भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(च) उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित सेवाशर्तों में किसी प्रकार का संसोधन राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर उसके अनुरूप लागु होगा।

(छ) उक्त विज्ञापन में किसी प्रकार का संसोधन/परिवर्तन/रद्द करने का पूर्ण अधिकार पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को होगा।

नोटः–आवेदन प्रपत्र www.jhpolice.gov.in पर उपलब्ध है।

पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण),
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1423 /प्रशि0

प्र0-01-01-08/2017

प्रशिक्षण निदेशालय, झारखण्ड पुलिस, राँची।

(फैक्स सं0-0651-2400728)

प्रतिलिपिः- राँची, दिनांक जूलाई, 2018

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को बिहार एवं झारखण्ड राज्य के हिन्दी एवं अंग्रेजी के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी, डाटा सेंटर, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को साक्षात्कार का वृत की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं झारखण्ड पुलिस के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण),
झारखण्ड, राँची।